न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 37/2022 – निगरानी

ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत पालड़ी –निगराकार	बनाम	1. किशन लाल पुत्र रामनिवास पांचाल, निवासी देवखेड़ी (गोविन्दपुरा) हाल निवासी मकान नम्बर 07, जे–17, आरसी व्यास कोलोनी, भीलवाड़ा 2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा – गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश 20.01.2016, पत्रावली संख्या 12, पट्टा संख्या 11, दिनांक 30.03.2016 पारित आदेश तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा

उपस्थित –

1. श्री गणेश जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. गैर निगराकार संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित हैं – एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 15.05.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार सं.01 ने अपने आवेदन पत्र में स्वयं को देवखेडी (गोविन्दपुरा) ग्राम पंचायत पालड़ी का निवासी बताकर दो पट्टे 200–200 रूपये में प्राप्त किये है, जबकि मौके पर खाली बाड़ा है कोई मकान या उसके निशानात नही है तथा गैर निगराकार सं. 01 ने दो पट्टे जिसका क्षेत्रफल 2400 + 2688 कुल 5088 वर्गफिट अर्थात 565 वर्गगज से अधिक के पट्टे प्राप्त किये है जबकि नियमानुसार नियम 157 में पात्रता रखने वाला व्यक्ति मात्र 300 वर्गगज पर पट्टा प्राप्त नही कर सकता है और न ही जारी किया जा सकता है। अतः दोनों पट्टे काबिल खारिज के है। जब गैर निगराकार के पिता के द्वारा अपने जवाब में गैर निगराकार को पट्टा एवं कब्जा देने की बात कही है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि गैर निगराकार सं. 01 ने 5088 वर्गफिट पर अनाधिकृत रूप से उक्त पट्टे की आड़ में कब्जा कर रखा है। ग्रामवासीयों द्वारा ग्राम पालड़ी में पूर्व में जारी अनियमित पट्टों की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 21/12/2021 को ग्राम पंचायत की कौरम में प्रस्ताव सं. 02 लेकर पत्रावलीयों की एवं मौके की जांच करने पर पाया कि तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालड़ी में नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितिकरण के प्रावधानों में गलत पट्टे जारी किये हुए है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर निगराधीन आदेश 30.03.2016 प्रस्ताव संख्या 05, पट्टा संख्या 11, दिनांक 30.03.

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

2016 पारित आदेश तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालडी, पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा को अपास्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हैं। विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालडी एवं सचिव के द्वारा गैरनिगराकार सं. 01 को जो पट्टा पुरानेगृहों का विनियमितिकरण का नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है, वह पूर्ण रूप से विधि के विपरीत होकर मात्र 200/–रूपये में जारी किया गया, जबकि मौके पर आज भी खाली भूखण्ड है तथा किसी भी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण नही है। गैर निगराकार संख्या 01 को दो पटटे नियम 157 (1) पुराने गृहों के विनियमितीकरण के तहत कुल 565 वर्गगज भूमि का पटटे जारी किये गये जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों के विरूद्व जारी किये गये हैं। प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर निगराधीन आदेश 30.03.2016 प्रस्ताव संख्या 05, पट्टा संख्या 11, दिनांक 30.03.2016 पारित आदेश तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालडी, पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा को अपास्त फरमाया जावे।

प्रकरण में बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि ग्राम पंचायत पालडी ने गैर निगराकार संख्या 01 को 2688 वर्गफीट का जो प्रश्नगत पटटा संख्या 11 दिनांक 30.03.2016 को जारी किया हैं, उसी ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 01 को 2400 वर्गफीट का पटटा संख्या 41 दिनांक 20.10.2014 को जारी किया हुआ हैं। इन दोनों पटटों में गैर निगराकार संख्या 01 ने दो अलग–अलग आवेदन कर दो पृथक – पृथक पटटे जारी किये हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 2400 + 2688 कुल 5088 वर्गफिट अर्थात 565 वर्गगज का होता हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत पालडी ने एक ही व्यक्ति को कुल 5088 वर्गफीट का पटटा जारी किया गया, जबकि ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत 300 वर्गगज यानि 2700 वर्गफीट तक का ही पटटा जारी करने का क्षेत्राधिकार हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत पालड़ी द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1994

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के नियमों की स्पष्ट उल्लघंना किया जाना प्रतीत होता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरूद्व तरीके से जो पट्टा संख्या 11 दिनांक 30.03.2016 जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टा को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत पालडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 30.03.2016 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा एवं ग्राम पंचायत पालडी पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)